

फा.सं. आईसीएमआर/एम्स/सीआरई-4
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
वी. रामालिंगस्वामी भवन
अंसारी नगर, नई दिल्ली

दिनांक: 17 सितंबर, 2026

सूचना

विषय: CRE-4 के माध्यम से परिषद मुख्यालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन - के संबंध में।

परिषद के दिनांक 09.09.2026 के समसंख्यक नोटिस के माध्यम से, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद के लिए CRE-4 के परिणाम की घोषणा के अनुपालन में, परिषद मुख्यालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जाता है:

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद हेतु दस्तावेजों का सत्यापन			
क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	रोल नं.	दिनांक, समय और स्थान
1.	हरीश कुमार	7211100	स्थान: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वी. रामालिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029 दिनांक: 25.09.2026 समय: प्रातः 10:30 बजे से

2. CRE-4 विज्ञापन के खंड XII के अनुसार, अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे निम्नानुसार मूल प्रमाण-पत्रों के साथ इन सभी दस्तावेजों की एक-एक फोटोकॉपी, विधिवतरूप से सत्यापित/स्व-सत्यापित, प्रस्तुत करने हैं। अपेक्षित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

- (i) ऑनलाइन किए गए आवेदन की डाउनलोड की गई पंजीकरण पर्ची की प्रति।
- (ii) डाउनलोड किए गए प्रवेश-पत्र की प्रति।
- (iii) जन्म-तिथि दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र/आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है, तो।
- (v) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यदि पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है, तो।
- (vi) जाति/पीडब्ल्यूबीडी के अलावा किसी अन्य आधार पर आयु में छूट का दावा किए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- (vii) यदि केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में कार्यरत हैं, तो 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र'।
- (viii) शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- (ix) अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो।
- (x) संलग्न चेकलिस्ट (विधिवत भरी हुई)।
- (xi) हाल ही के पासपोर्ट आकार के दो फोटो।
- (xii) अन्य कोई प्रमाण-पत्र, जो प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हो।

3. अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वह दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निर्धारित समय से कम से कम 45 मिनट पहले स्थान पर पहुँचे।
4. अभ्यर्थी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ऊपर उल्लेखित सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपने साथ अवश्य लाए। किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

-हस्त-

(रीमा शर्मा)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. अभ्यर्थी।
2. संबंधित फाइल।